न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ,जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 25/2019 पुराना, 175/2023 दायर तारीख : 05.04.2019

प्रहलाद सहाय बनाम मोटाराम वगै0

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : – श्री शिवराज सिंह राठौड अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री रामेश्वर धायल अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी 26

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 16/07/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वाद आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम रामपुरा तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर के संबंध में दायर किया है, वादी ने मूल वाद के पेरा नम्बर 4 में वर्णित किया है कि प्रतिवादी नम्बर 26 ने प्रतिवादी संख्या 3,4,5 एंव 25 एंव स्व. नारायण पुत्र जेता के विरूद्ध वाद में वर्णित आराजी के संबंध में एक डिक्री मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय सांभर से प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में अपना 1/3 हिस्से में नाम अंकित करवा लिया है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील जयपुर राज0 यहा विचाराधीन है। वादी स्वंय ने वाद में वर्णित आराजी के संबंध में पूर्व में वाद डिक्री होना जाहिर किया है। जो वाद संख्या 125/2016 न्यायालय सहायक जिलाधीश सांभर लेक जिला जयपुर में यहा उनवानी दुलीचन्द बनाम हुनमान था, जिसमें पारित डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील संख्या 316/16 हनुमान बनाम दुलीचन्द एंव अपील संख्या 611/16 श्यामाराम बनाम दुलीचन्द 611/16 वर्तमान में विचाराधीन है। जब तक माननीय न्यायालय राजस्व अपील जयपुर के यहा अधीनस्थ न्यायालय के वाद संख्या 125/2016 उनवानी दुलीचन्द बनाम हनुमान में पारित निर्णय/डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने एंव रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आने से चलने योग्य नहीं है एंव वाद विधि द्वारा वर्जित होने से औ07 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

3. जिसमें नकल प्रा0 पत्र वादी अधिवक्ता को दिलावायी गई। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया तथा जिसका विवरण निम्न प्रकार है। वर्णित तथ्यों में उनवानी वाद आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 24 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम रामपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर के सम्बन्ध में दायर किया जाना स्वीकार है। तथा मूल वाद के मद संख्या 4 में प्रतिवादी संख्या 26 द्वारा प्रतिवादी संख्या 03, 25, व स्व0 नारायण पुत्र जेता के विरूद्ध एक डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर से प्राप्त की जाना तथा जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहा विचाराधीन होना स्वीकार है। प्रा0 पत्र के मद संख्या 02 में वर्णित तथ्यों में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में पूर्व में एक डिक्री वाद संख्या 125/16 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के यहा उनवानी दुलीचन्द बनाम हनुमान वगै0 जिसमें डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहा व श्यामाराम बनाम दुलीचन्द की अपील विचाराधीन होने से वर्तमान वाद पर कोई असल नहीं पडता है। और ना ही उक्त वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत लागू होते है। क्यों की पूर्व में जो वाद संख्या 125/16 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के यहा प्रस्तुत किया गया था। उसमें वर्तमान वाद में अंकित पक्षकार सभी पक्षकार नहीं थें वह वाद प्रतिवादी संख्या 26 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3,25 व स्व0 नारायण के विरूद्ध पेश किया गया था। जिसमें वर्तमान वाद के सभी पक्षकार मुकदमा नहीं थे और ना ही वाद कारण व चाही गई प्रार्थना समान थी। ना तो वादी ने पूर्व वाद संख्या 125/16 के वाद की नकल और ना ही तनकी की नकल और ना ही निर्णय की नकल प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत की और ना ही दोनो अपीलो की नकलें प्रस्तुत की है। और ना ही इस प्रकार की किसी नकलों की प्रति वादी के अभिभाषक को उपलब्ध करायी है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रा0 पत्र चलने योग्य नहीं है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया है उनवानी वाद प्रहलाद सहाय बनाम मोटाराम वादी द्वारा दिनांक 05.04.2017 को प्रस्तुत किया गया था। जिसे 8 साल से अधिक की व्यतीत हो चुकी है। प्रतिवादीगण कोई न कोई बहाना कर उक्त मुकदमें को टालते रहते है। तथा जवाब पेश करने से आज तक गुरेज करते आये है। गत पेशी पर जवाब हेतु प्रतिवादीगण को अन्तिम अवसर दिया था इसलिए प्रतिवादी संख्या 26 ने जवाब से बचने के लिए उक्त प्रा0 पत्र कतई झूठे तथ्यों पर पेश किया है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 26 के विरूद्ध घोषणा , विभाजन, रिकोर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जबकि पूर्व वाद न तो विभाजन व रिकोर्ड दुरूस्ती का था और ना ही उसमें वर्तमान मुकदमें में दर्ज सभी पक्षकारान पक्षकार मुकदमा थें और ना ही पूर्व वाद में बेचान पत्र दिनांक 02.06.1981 व नामान्तकरण संख्या 109 द्वारा राजस्व रिकोर्ड में किये गये गलत अंकन को प्रश्नगत नहीं बनाया हुआ था। तथा वर्तमान वाद में चाही गई प्रार्थना भी समान नहीं थी ऐसी स्थिति में पूर्व वाद में व वर्तमान वाद में समान पक्षकारान न होने , वाद कारण समान न होने तथा चाही गई प्रार्थना समान न होने व तनकीयात समान न होने से उक्त वाद रेसज्यूडिकेटा के आधार पर विधि द्वारा बाधित नहीं है। इसलिए प्रा0 पत्र काबिले खारिज योग्य है। प्रतिवादी संख्या 26 ने अपने प्रा0 पत्र में पूर्व वाद संख्या 125/16 उनवानी दुलीचन्द बनाम हुनमान मे पारित डिक्री व उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ विचाराधीन अपील संख्या 316/16 हनुमान बनाम दुलीचन्द , अपील संख्या 611/16 श्यामाराम बनाम दुलीचन्द के सम्बन्ध में उक्त मुकदमा संख्या 125/16 व अपीलो में दर्ज पक्षकारान व उक्त निर्णय किसी प्रकार वर्तमान वाद में कायम की गई तनकीयात व पूर्व वाद में कायम की तनकीयात का भी कोई वर्णन अपने प्रा0 पत्र में पेश नहीं किया है। इसलिए अस्पष्ट व अधूरें प्रा0 पत्र के आधार पर वाद को पढने मात्र से वाद किस विधि द्वारा बाधित है प्रकट नहीं होता है। इसलिए प्रा0 पत्र काबिले खारिज है। वादी द्वारा पेश वाद किसी भी पूर्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री से बाधित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

और ना ही रेसाज्यूडिकेटा के आधार पर वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 26 द्वारा उठायी गयी आपतिया विधि व साक्ष्य के मिश्रित बिन्दू है। जिस पर तनकीयात कायम की जाकर तनकी का निर्णय किया जाना आवश्यक है। वादी का वाद किसी भी विधि द्वारा बाधित नहीं है। और ना ही रेसज्यूडिकेटा का सिद्धात वर्तमान वाद पर लागू होता है। प्रतिवादी संख्या 26 ने उक्त प्रा0 पत्र केवल मात्र उपरोक्त मुकदमें को देरीना करने के आशयत से झूठे तथ्यों पर पेश किया है जो विशेष खर्चे सहित खारिज किये जाने योग्य है।

4. उभय पक्षकारन की बहस को सुना गया है। पक्षकारान अधिवक्ताओं ने अपने जवाब व प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किय है।

5. बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन व बहस मनन से निम्न तथ्य उभर के सामने आये है। हस्तगत वाद वादी के द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा /विभाजन आराजी एंव स्थायी निषेधाज्ञा चाहने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 24 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम रामपुरा के संबंध में दायर किया है वाद प्रतिवादी नम्बर 26 ने प्रतिवादी संख्या 3,4,5 एंव 25 एंव स्व0 नारायण पुत्र जेता के विरूद्ध वाद में वर्णित आराजी के संबंध में एक डिक्री मान्य न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय सांभर से प्राप्त कर राजस्व रिकोर्ड में अपना 1/3 हिस्से में नाम अंकित करवा लिया है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहा अपील संख्या 316/16 हनुमान बनाम दुलीचन्द एंव अपील संख्या 611/16 श्यामाराम बनाम दुलीचन्द वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त अपीलो का निस्तारण नहीं हो जाता प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध होने एंव रेसज्यूडिकेटा की से बाधित है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विधि के विरूद्ध व रेसज्यूडिकेटा होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 26 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पोषणीय व साबित होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 16/12/25 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल

(सुनिता मीणा) आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल
बइजलास :– सुनिता मीणा आर.ए.एस.

प्रहलाद सहाय बनाम मोटाराम वगै0

दावा बाबत घोषणा , विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं0 25/2019 पुराना,175/2023 नया

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामेश्वर धायल व हाजरी श्री शिवराज सिंह राठौड मिनजानिब मुददई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादीया सं0 26 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. साबित होने पर स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किए जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनिता मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना अधिवक्ता	–	–
महन्ताना अधिवक्ता	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल